

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग-खण्डवा,
जिला खण्डवा, (म0प्र0)

कमांक / प्रति, /भू-अर्जन / 2018 खण्डवा, दिनांक 06/04/2018

नियंत्रक,
केन्द्रीय मुद्रणालय
म.प्र. भोपाल

विषय :- भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत घोषणा का राजपत्र में प्रकाशन विषयक ।

—00—

राजस्व प्रकरण कमांक .5/अ.82/2017-18 में ग्राम राजगढ तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा की निजी भूमि क्षेत्रफल 324.45 हेक्टर के भू-अर्जन हेतु, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक-30, सन् 2013) की धारा-19 के तहत कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की दो प्रतियां संलग्न प्रेषित है ।

अतः कृपया उक्त घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- 02 प्रतियां ।



(Signature)
(प्रीति यादव)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा,
जिला खण्डवा (म.प्र.)
खण्डवा दिनांक 06/4/2018

पृष्ठांकन कमांक / 856 /भू-अर्जन / 2018
प्रतिलिपि :-

- 1- संचालक, जन संपर्क संचनालय म0प्र0 की ओर अधिसूचना की चार प्रतियाँ संलग्न कर इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहु प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित । दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन उपरांत समाचार पत्रों की दो प्रतियाँ इस कार्यालय एवं कार्यालय कलेक्टर खण्डवा को प्रेषित करने का कष्ट करें ।
- 2- कलेक्टर महोदय, (भू-अर्जन शाखा) जिला खण्डवा की ओर अधिसूचना की प्रति सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईड पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित ।
- 4- तहसीलदार, खण्डवा की ओर 06 प्रतियाँ संलग्न कर एक प्रति स्वयं के कार्यालय के सूचना पटल, उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय/तहसील/जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रेषित ।
- 5- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 6- जिला नाजिर कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर जिला कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित ।

(Signature)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा,
जिला खण्डवा (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती कं. 136/2017 एल.ए.

भू-अर्जन प्रकरण कं. -05/अ-82/17-18

खण्डवा, दिनांक 05/04/2018

!! उद्घोषणा !!

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में हितवद्ध कृषकों की ओर से सामुहिक रूप में आपत्तियां प्रस्तुत की गईं। अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानारूप ना होने से, लोक प्रयोजन को आक्षेपित ना किये जाने के परिणाम स्वरूप प्राप्त आपत्तियां अमान्य की गयीं। इस कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

!! अनुसूची !!

1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला :- खण्डवा
 (ख) तहसील :- खण्डवा
 (ग) ग्राम :- राजगढ
 (घ) अर्जित रकबा :- 324.45 हेक्टर



खसरा कं.	अर्जित रकबा हे० में	खसरा कं.	अर्जित रकबा हे० में	खसरा कं.	अर्जित रकबा हे० में	खसरा कं.	अर्जित रकबा हे० में
341	0.40	237/2	1.66	477/1	2.75	522/2	1.02
342/1	1.14	237/3	1.70	477/2	2.65	522/3	1.18
342/2	1.20	240/1	1.40	477/3	1.80	523/1	1.60
344	1.03	240/2	1.40	477/4	0.65	523/2	1.64
347/1	0.52	239	1.08	478	1.84	532	2.30
347/2	0.53	238/1	0.51	479	3.13	533	2.64
347/3	0.53	238/2	0.63	480/1	1.12	534/1	0.61
339	1.28	390	2.97	480/2	3.20	534/2	0.50
340/1	0.80	418/1	2.40	482/1	0.40	535/1	0.02
340/2	1.20	418/2	2.40	482/2	2.00	535/2	0.30
340/3	0.54	418/3	0.30	482/3	0.80	535/3	0.17
340/4	0.18	241/1	1.40	482/4	1.20	535/4	1.20
340/5	0.60	241/2	0.53	482/5	3.00	535/6	0.60
340/6	0.10	242	2.01	483	1.19	535/7	0.45
340/7	0.47	243/1	1.13	488	0.36	535/8	0.22

336/1	6.35	243/2	0.80	489	1.55	536	3.20
337/1	1.00	389	4.10	490	6.50	538/1	0.26
337/2	0.88	388/1	2.15	491	0.17	538/2	0.30
337/3	0.88	388/2	3.25	492/1	1.00	538/3	0.30
348	1.44	384	0.81	492/2	2.13	541	2.88
349	1.50	245/1	3.58	493/1	0.33	542	0.13
351	2.45	245/2	3.60	493/2	1.11	543	3.77
356	0.91	423/1	1.51	494	1.44	546	2.80
357	1.17	423/2	1.60	499/1/1	1.17	547	1.78
358	2.01	423/3	1.60	499/1/2	1.20	548	2.08
359	2.29	428/1	1.00	499/1/3	0.80	549	1.47
297/1	0.30	428/2	0.25	499/2	1.37	550/1	1.39
297/2	0.49	424	0.20	500	1.83	550/2	0.05
259/1	1.18	425	0.67	501/1	1.52	550/3	1.20
259/2	2.00	426	0.25	501/2	1.60	551	1.36
259/3	2.00	427	0.69	503/1	1.00	552	1.30
259/4	1.19	430	0.79	503/2	0.04	553/1	0.80
257/1	1.59	436	2.02	503/3	0.80	553/2	0.80
257/2	1.59	437	2.00	504	2.98	553/3	0.50
271/1	1.45	438	2.21	505	3.22	553/4	0.40
271/2	1.46	440	0.32	510/1	1.62	555/1	2.01
271/3	1.46	441	1.72	510/2	2.00	555/2	0.80
252	0.12	442	0.25	510/3	0.40	246/1	1.40
253	0.16	443	0.55	510/4	0.80	246/2	3.00
272/1	1.14	445	4.10	510/5	0.80	378/1	0.52
272/2	1.00	446	1.36	511	2.93	378/2	1.60
272/3	1.20	454	1.14	512/1	1.45	378/3	1.60
272/4	1.15	455	1.00	512/2	1.45	379/1	3.61
272/5	1.15	456	1.51	514/1	1.45	379/2	4.00
273/1	2.19	457	1.49	514/2	1.00	376/1	0.59
273/2	2.20	458	0.09	514/3	1.00	376/2	0.57
273/3	2.20	459/1	1.56	515/1	0.33	376/3	0.39
249	2.68	459/2	0.75	515/2	1.00	376/4	0.38
250/1	1.19	459/3	1.60	515/3	1.00	375/1	0.48
250/2	0.40	462/1	1.12	516	0.54	375/2	0.50
250/3	0.40	462/2	0.32	517/1	0.07	375/3	0.41
362/1	2.59	463/1	1.43	517/2	0.05	375/4	0.42
362/2	0.75	463/2	1.41	517/3	0.18	374	2.53
				518/3			



363	0.34	463/3	1.41	518/1	0.33	372	1.92	
364	0.73	464/1	1.92	518/2	0.15	448	0.45	
365	1.11	464/2	4.41	519	0.63	338/1	1.27	
366	0.79	465/1	1.27	521/1	3.08	338/2	1.00	
367	3.77	465/2	1.27	521/2	0.25	-	-	
368	6.94	466	2.52	521/3	0.15	-	-	
237/1	1.20	467	1.28	522/1	1.36	-	-	
कुल योग :-							324.45	

2) सार्वजनिक प्रायोजन भाग मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं ड्रब हेतु जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।

3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार




(हमिषिक सिंह)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला खण्डवा